

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या

15/25/19

प्रवेश तिथि

26-03-2019

निर्णय दिनांक

01-10-2019

1- मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड शाखा जयपुर राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रार्थी

—::बनाम ::—

1-श्री.सौरभ कुमार पुत्र श्री जयवीर सिंह राधव (अ) 5क 375 शिवाजी पार्क खुदनपुरी अलवर (ब) गैलेक्सी होम स्टेइज,रेलवे स्टेशन के पामस अलवर (स) फ्लेट नं0 911, 9वीं मंजिल फोर्ट व्यू रेजीडेन्सी टावर नं0 सी 2, ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर। (द) 5-क-6 वार्ड नं0 18 शिवाजी पार्क अलवर-राज0

2-जयवीर सिंह राधव पुत्र रामस्वरूप सिंह (अ) 5क 375 शिवाजी पार्क खुदनपुरी अलवर (ब) फ्लेट नं0 911, 9वीं मंजिल फोर्ट व्यू रेजीडेन्सी टावर नं0 सी 2, ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।

अप्रार्थी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनैशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति श्री सौरभीकुमान पुत्र श्री जयसिंह राधव की फ्लेट नं0 911, 9वीं मंजिल फोर्ट व्यू रेजीडेन्सी टावर नं0 सी 2, ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सुपर बिल्ट-अप एरिया 690 वर्गफीट) है को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।


जिला कलक्टर  
अलवर (राज0)

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार-रामगढ जिला-अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-10-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर